संख्या- 100/2021/1349 /24-1-21-15(बजट)/2021

प्रेषक:

आनन्द कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 9 सितम्बर, 2021**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2021-22 में 3×210 मेगावाट अनपरा 'अ' एवं 2×500 मेगावाट अनपरा 'ब' तापीय परियोजना पर ई0एस0पी0 रिट्रोफिटींग का कार्य एवं परामर्शी सेवा की योजना हेतु अंशपूँजी की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के पत्र संख्या-119/उ0नि0लि0/नि0(वित्त)/, दिनांक 11 अगस्त, 2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में 3×210 मेगावाट अनपरा 'अ' एवं 2×500 मेगावाट अनपरा 'ब' तापीय परियोजना पर ई0एस0पी0 रिट्रोफिटींग का कार्य एवं परामर्शी सेवा की योजना हेतु ऊर्जा विभाग के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक 4801-02-190-14-1427-30- में प्राविधानित धनराशि रूपये 1,01,34,000/- (रूपये एक करोड़ एक लाख चौंतीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत कर आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण का माह सितम्बर, 2021 में किया जायेगा।

3- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण उसी मद में किया जायेगा, जिस मद में धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

4- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या- 426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाया जायेगा तथा तत्संबंधी बिल ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को प्रतिहस्ताक्षर हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।

5- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गई धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज और ऊर्जा विभाग, तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

6- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जाय।

7- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-9 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-02-ताप विद्युत शक्ति उत्पादन-190-सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-14-उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड-1427-3×210 मेगावाट अनपरा 'अ' एवं 2×500 मेगावाट अनपरा 'ब' तापीय परियोजना पर ई0एस0पी0 रिट्रोफिटींग का कार्य एवं परामर्शी सेवा की योजना हेतु अंशपूँजी -30-निवेश/ऋण" के नामे डाला जायेगा।

8- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10-1037/दस-2021 22, दिनांक 23 सितम्बर, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

आनन्द कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

संख्या- 100 /2021/1349(1)/24-1-21, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज, 211001।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज 211001।
3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल, केन्द्रीय भवन,सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।
4- प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ वित्त (वयय-नियंत्रण) अनुभाग-10
7- राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

आनन्द कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in